[redacted]

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला **ओपी एसीबी, एस.यू. द्वितीय जयपुर** थाना **प्रधान आरक्षी केंद्र, प्र0नि0ब्यू0 जयपुर** वर्ष **2023**
प्र0इ0रि0 सं. ...78/**2023**............................दिनांक...............6/4/2023.....

2. (I) * अधिनियम ...**पी0सी0 (संशोधन) एक्ट 2018**.......... धारायें..........7, 7ए........
(II) * अधिनियम भा.द.स.......................................धारायें ....384 व 120बी............
(III) * अधिनियम .... धारायें ....
(IV) * अन्य अधिनियम एवं धारायें ....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या ....111......... समय ...6:00 P.M.
(ब) * अपराध घटने का वार..........दिनांक....14.09.2022 समय..............
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 05.04.2023

4. सूचना की किस्म :– लिखित/मौखिक– **लिखित**

5. घटनास्थल :–
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी:– दक्षिण–पश्चिम दिशा में करीब 180 कि0मी0 ....
(ब)*पता–जहाजपुर
....बीट संख्या..........................जयरामदेही सं.................
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना ....जिला ....

6. परिवादी / सूचनाकर्ता :–
(अ) नाम................ श्री कैलाश चन्द्र खटीक ....
(ब) पिता/पति का नाम– श्री नाथूलाल ....
(स) जन्म तिथी/वर्ष......... ....
(द) राष्ट्रीयता ....**भारतीय**..
(य) पासपोर्ट संख्या ....जारी होने की तिथि ....
जारी होने की जगह ....
(र) व्यवसाय ....
(ल) पता... संतोष नगर, वार्ड नं. 04, जहाजपुर पुलिस थाना जहाजपुर जिला भीलवाडा, राजस्थान

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित : –
1– श्री मक्खन लाल पुत्र श्री हरीश चन्द्र ग्राम बडवारा तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान
2– श्री दुलीचंद पुत्र श्री मक्खन लाल ग्राम बडवारा तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान हाल थानाधिकारी पुलिस थाना जहाजपुर जिला भीलवाडा व अन्य

8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :–...
चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)....

10. * चुराई हुई/ लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य ....

11. * पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) ....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :–

महोदय,

निवेदन है कि दिनांक 05.04.2023 को परिवादी श्री कैलाश चन्द्र खटीक पुत्र श्री नाथूलाल खटीक निवासी जहाजपुर जिला भीलवाडा राजस्थान ने उपस्थित कार्यालय होकर एक लिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि "सेवामें, श्रीमान महानिदेशक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर राजस्थान, प्रार्थी :– कैलाश चन्द्र खटीक पुत्र श्री नाथूलाल खटीक उम्र 48 वर्ष निवासी जहाजपुर जिला भीलवाडा राजस्थान मो.नं. 9414595800 विषय :– जहाजपुर थानाधिकारी दुलीचंद गुर्जर द्वारा मुझ से 5,00,000/– रूपये अक्षरे पांच लाख रूपये रिश्वत लेने बाबत्। महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मुझ प्रार्थी के 04 ट्रेक्टर बजरी में चलते है जिनकी रॉयल्टी काटी जाती है फिर भी थानाधिकारी दुलीचंद गुर्जर व उसी थाने के सिपाई देशराज गुर्जर बैल्ट नं. 1706 मेरे से 5000/– प्रतिमाह प्रति ट्रेक्टर के लेते है। चार ट्रेक्टरों की राशि 20,000/– अक्षरे बीस हजार रूपये बनती है। आज से लगभग नो माह पूर्व थानाधिकारी ने मेरे को फोन करके बुलाया और मेरे को कहा कि आप मुझे बीस हजार रूपये प्रतिमाह आपके ट्रेक्टर चलाने की ऐवज में मुझे देते हो अगर आप चाहो तो मुझे वन टाईम सेलमेन्ट में पांच लाख रूपये दे दो तो मैं मुझे प्रतिमाह बंधी देने की आवश्यकता नहीं है। आपके ट्रेक्टरों को मैं अथवा थाने का कोई भी पुलिसकर्मी नहीं रोकेगे जिस पर प्रार्थी ने उक्त थानाधिकारी मुझसे मांगी गई पांच लाख रूपये की ऐवज में थानाधिकारी दुलीचंद के पिताजी जो कि दिनांक 14.09.2022 को थाना जहाजपुर में आये हुये थे को उक्त थानाधिकारी दुलीचंद द्वारा उसके द्वारा मुझ प्रार्थी से रिश्वत के रूप में मांगी गयी राशि उसके पिताजी को देने के लिए कहा जिस पर मैनें कहा कि ठीक हैं साहब मेरे पास जितने रूपये होगें मैं दे दूगां उसके बाद में मैनें दिनांक 14.09.2022 में थाना जहाजपुर में गया तो उपर की बैरक कमरा में थानाधिकारी दुलीचन्द गुर्जर के पिताजी खाना खा रहे थे मैनें उनको कहा कि मैं कैलाश खटीक हूं तो उन्होने कहा कि आओं बैठो खाना खाने के बाद मैनें उनको 2,00,000/– अक्षरे दो लाख रूपये दे दिये जो उन्होने मुझसे लेकर अपने पास रख लिये और उन्होने कहा कि इससे काम नहीं चलेगा 5 लाख रूपये देने पड़ेंगे जिस पर मैनें कहा कि 3,00,000/– अक्षरे तीन लाख रूपये मैं कहीं से व्यवस्था करता हूं उसके बाद थानाधिकारी के पिता ने कहा कि आप ट्रेक्टर निश्चित होकर चलावे मेरा बेटा आपको कभी परेशान नहीं करेगा और कभी किसी प्रकार की समस्या हो तो मेरे को बताना मैं दुलीचंद मेरे बेटे को कह दूगां। उक्त घटना की पूरी वीडियों रिकार्डिगं एवं ऑडियो रिकार्डिग मुझ प्रार्थी के पास है जो मैं जांच के दौरान जांच अधिकारी को दे दूगां। श्रीमान से निवेदन है कि मेरे द्वारा थानाधिकारी दुलीचंद गुर्जर को रिश्वत के रूप में मांगी जा रहीं 3,00,000/– अक्षरे तीन लाख रूपये नहीं देने के कारण दिनांक 02.04.2023 सुबह लगभग 08 बजे रायल्टी नाका छाबडिया चौराहे पर पैसे जमा करवाकर चौधरी धर्मकांटे पर बजरी का वनज रवन्ना कटवाने जा रहा था तो सिपाही देशराज गुर्जर बेल्ट नं. 1706 ने थाने के बाहर रूकवाया और कहा कि सी.आई.साहब हनुमान नगर, गये है सी.आई. साहब ने मुझ से कहा कि कैलाश खटीक से तीन लाख रूपये ले लेना नहीं दे तो ट्रेक्टर थाने में खडा करवा देना। मेरे द्वारा तीन लाख रूपये नहीं देने पर ट्रेक्टर को थाने में खडा करवा दिया जबकि बजरी लीज धारक द्वारा मेरे ट्रेक्टर की ऑन लाईन रवन्ना पर्चिया कटवाई जाती है मेरा कोई भी ट्रेक्टर बिना रॉयल्टी नहीं चलता है।(रॉयल्टी की पर्चिया और चौधरी धर्म काटां जाने तक के पैसो की रसीद संलग्न है) अतः श्रीमान से निवेदन है कि मुकदमा दर्ज कर थानाधिकारी जहाजपुर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करवाने की कृपा करावें। दिनांक 05.04.2023 प्रार्थी एस.डी. कैलाश चन्द्र खटीक पुत्र श्री नाथूलाल खटीक निवासी जहाजपुर जिला भीलवाडा राजस्थान मोबाइल नं. 94145–95800 "कार्यवाही पुलिस दिनांक 05.04.2023 समय 4.30 पी.एम. पर श्रीमान अतिरिक्त महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर ने मुझ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एस.यू. द्वितीय, भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर को बुलाकर अपने कार्यालय में पूर्व से मौजूद श्री कैलाश चन्द्र खटीक पुत्र श्री नाथूलाल जाति खटीक उम्र 47 साल निवासी संतोष नगर, वार्ड नं. 04, जहाजपुर पुलिस थाना जहाजपुर जिला भीलवाडा से परिचय करवाकर उसके द्वारा प्रस्तुत टाईपशुदा रिपोर्ट पर आवश्यक कार्यवाही करने का पृष्ठांकन कर मुझ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को दी। इसके पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक परिवादी श्री कैलाश चन्द्र खटीक को अपने साथ लेकर अपने कार्यालय में आया। श्री कैलाश चन्द्र से उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के बारे में पूछताछ की तो श्री कैलाश चन्द्र ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि करते हुये प्रार्थना पत्र अपने स्वयं के द्वारा हस्ताक्षरित होना बताया। पूछताछ करने पर श्री कैलाश चन्द्र ने बताया कि मेरे बनास नदी, रावतखेडा से बजरी लाने में चार ट्रेक्टर ट्राली चलती है, जिसके लिए पुलिस थाना जहाजपुर के थानाधिकारी श्री दुलीचंद गुर्जर एवं थाने के सिपाई श्री देशराज गुर्जर के द्वारा एक ट्रेक्टर के 5000

रूपये प्रतिमाह के हिसाब से चारों ट्रेक्टर की 20,000 रूपये प्रतिमाह के मासिक बंधी की मांग की गई और मेरे द्वारा मासिक बंधी के रूपये नहीं दिये जाने पर मेरे ट्रेक्टरों को बंद करने की धमकी दी गई। मेरे से एक मुस्त सेटलमेन्ट के रूप में लगभग 09 महिने पूर्व श्री दुलीचंद गुर्जर ने 05 लाख रूपये की मांग की और मांग पुरी नही किये जाने पर ट्रेक्टरों को बन्द करने धमकी दी गई, इस कारण डर के मारे मैनें दिनांक 14.09.2022 को सुबह करीब 08–09 बजे श्री दुलीचंद ने अपने मोबाइल नं. 98288–75332 से मेरे मोबाइल नं. 94145–95800 पर साधारण कॉल कर 05 लाख रूपये थाने के उपर बने थानाधिकारी के निवास पर अपने पिता को देने के लिए कहा। इस पर मैंने 02 लाख रूपये की पांच पांच सौ के नोटों की चार गड्डियों की व्यवस्था कर पुलिस थाना जहाजपुर में थानाधिकारी के निवास पर जाकर श्री दुलीचंद गुर्जर के पिता श्री मक्खन लाल से मिला और उनको मैनें 02 लाख रूपये दे दिये। इस पर श्री मक्खन लाल ने मेरे से पूछा कि कितने है। इस पर मैनें कहा कि 02 लाख है साहब ने 05 की कहा था, इस पर श्री मक्खन लाल ने कहा कि काम तो ना चल रहो दो से, इस पर मैनें कहा कि नहीं चलेगा तो पांच, पांच दे दूगां। इस मैनें कहा कि 03 लाख रूपये में कही से व्यवस्था करता हूं। उसके बाद श्री मक्खन लाल ने कहा कि आप निश्चित होकर ट्रेक्टर चलाओं मेरे बेटा आपको कभी परेशान नहीं करेगा और किसी प्रकार की समस्या हो तो मेरे को बताना मैं मेरे बेटे दुलीचंद को कह दूगां। इसका मैनें मेरे मोबाइल से वीडियों बनाया था। बाहर आकर मैनें मोबाइल को चैक किया तो पूरा वीडियों नहीं बना था इस पर मैं पुनः मोबाइल को चालू कर वापस अन्दर जाकर श्री मक्खन लाल से मिला और मैनें कहा कि तीन आ जायेगें। इसके बाद 03 लाख रूपये के लिए मुझे श्री दुलीचंद गुर्जर बार बार वाटसऐप पर वाईस कॉल करते थे और नहीं दिये जाने पर मेरे ट्रेक्टरों को बन्द करने के धमकी देते थे। इस पर मैनें दिनांक 20.02.2023 को मेरे बैंक ऑफ बडोदा, जहाजपुर में स्थित खाता संख्या 0799100011553 से 315000 रूपये निकलवाये थे जिसमें से 03 लाख रूपये श्री दुलीचंद गुर्जर को उसके कार्यालय में उसी दिन दे दिये थे। मेरे द्वारा एक मुस्त बंधी के 05 लाख रूपये दिये जाने के बावजूद भी मेरे से श्री दुलीचंद गुर्जर 03 लाख रूपये और मांग रहे थे। मेरे द्वारा पैसे नहीं दिये जाने पर श्री दुलीचंद के द्वारा दिनांक 02.04.2023 को मेरे ट्रेक्टर नं. आर.जे. 51 आरए 1319 को बजरी की भरी हुई ट्रोली सहित थाने में खडा करवाये जाने के बाद मैनें मेरे मोबाइल नं. 94145–95800 से श्री दुलीचंद के पिता के मोबाइल नं. 94603–72281 पर 03 बार दुली चंद के पिता से बात की थी, उक्त वार्ताओं को मैनें मेरे मोबाइल फोन रिकार्ड किया था। मैंने श्री दुलीचंद गुर्जर के पिता से कहा कि आप एक बार सीआई साहब से बात करो, मैनें आपको 03 लाख रूपये दे दिये हर महिने मंथली देता हूं फिर भी मेरा ट्रेक्टर पकड लिया। इसके बाद श्री दुलीचंद के पिता ने मुझं कहा कि इनका कोई रोल नहीं है उपर से अधिकारिन का दबाव है। मेरे द्वारा श्री दुलीचंद गुर्जर के पिता श्री मक्खन लाल को दिनांक 14.09.2022 को 02 लाख रूपये देते समय बनाये गये दोनों वीडियों को मेरे द्वारा मेरी पत्नि के मोबाइल पर वाटसऐप पर भेज दिया था और मेरे मोबाइल से डिलीट कर दिया था। उक्त दोनों वीडियों को मैनें दिनांक 02.04.2023 को मेरी पत्नि के मोबाइल से अपने मोबाइल पर वाटसऐप पर वापस ले लिया था। श्री दुलीचंद के द्वारा दिनांक 02.04.2023 को मेरे ट्रेक्टर नं आर.जे. 51 आरए 1319 को बजरी की भरी हुई ट्रोली सहित थाने में खडा करवाये जाने के बाद मैनें मेरे मोबाइल नं. 94145–95800 से श्री दुलीचंद के पिता के मोबाइल नं. 94603–72281 पर 03 बार दुली चंद के पिता से बात की थी, उक्त वार्ताओं को मैनें मेरे मोबाइल फोन रिकार्ड किया था। इसके बाद मैनें मेरे मोबाइल से उक्त तीनों वार्ताओं एवं दिनांक 14.09.2022 के दोनों ऑडियो/वीडियों को मेरे इस पैन डाईव में कॉपी किया था। उक्त पैन डाईव मैं मेरे साथ लाया हूं। मेरी दिनांक 02.04.2023 को ट्रेक्टर पकडे जाने के बाद श्री दुलीचंद गुर्जर से काफी बहस हो गई थी, इस कारण श्री दुलीचंद गुर्जर मेरे से अब बंधी के रूपये नहीं लेगा। परिवादी श्री कैलाश चन्द्र ने अपने ट्रेक्टर नं. आर.जे. 51 आर.ए 1319 की आर.सी. एवं ट्रोली की आर.सी. एवं इन्श्योरेन्स पॉलिसी तथा टेक्स एवं माईनिंग रवन्ना की रसीदों की छायाप्रतियां पेश की जिनको शामिल प्रार्थना पत्र किया गया। दिनांक 05.04.2023 समय 04.45 पी.एम. को पर परिवादी के द्वारा पैन डाईव को लैपटॉप में लगाकर सुना गया तो परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों एवं पूछताछ में बताये तथ्यों पूष्टि होती है। रिकार्ड ऑडियो/वीडियों वार्ताओ एवं प्रार्थना पत्र में अंकित एवं पूछताछ में आये तथ्यों से श्री दुलीचंद गुर्जर थानाधिकारी, पुलिस थाना जहाजपुर जिला भीलवाडा एवं उसके पिता श्री मक्खन लाल एवं अन्य के विरूद्ध प्रथम दृष्टया अपराध अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व धारा 384 एवं 120 बी भादंस में बनना प्रतीत होता है। अतः पैन डाईव में रिकार्ड ऑडियो/वीडियों वार्ताओं की डी.वी.डी. एवं वार्तारूपांतरण तैयार किया जाना है अतः श्री गजानन्द उ.नि.

को दो स्वतंत्र गवाह तलब करने हेतु निर्देशित किया गया। इसके बाद दिनांक 05.04.2023 समय 05.15 पी.एम पर स्वतंत्र गवाह श्री चन्द्रशेखर आजाद पुत्र श्री भगवत स्वरूप, जाति जाटव, उम्र 53 साल, निवासी प्लाट नम्बर 101, जनकपुरी–प्रथम, इमली वाला फाटक, ज्योतिनगर जयपुर हाल किरायेदार मकान नम्बर बी–208, गिर्राज विहार रोड, गैलेक्सी अपार्टमेन्ट, जी–1, प्रथम तल शैलबी हॉस्पीटल के पास वैशाली नगर जयपुर हाल सहायक लेखाधिकारी–द्वितीय निदेशालय, कृषि विपणन विभाग, पंत कृषि भवन, जयपुर एवं श्री मोहनदास पुत्र श्री गोपाल राम, जाति जाटव, उम 32 साल, निवासी 181/211, सैक्टर–18, प्रताप नगर, सागांनेर, जयपुर हाल सहायक सांख्यकी अधिकारी, कृषि विपणन विभाग, पंत कृषि भवन, जयपुर उपस्थित कार्यालय आये है। जिनको कार्यवाही के दौरान स्वतंत्र गवाह रहने के लिए कहा गया तो दोनों ने अपनी अपनी मौखिक सहमति दी। इस पर परिवादी श्री कैलाश चन्द्र खटीक पुत्र श्री नाथूलाल जाति खटीक उम्र 47 साल निवासी संतोष नगर, वार्ड नं. 04, जहाजपुर पुलिस थाना जहाजपुर जिला भीलवाडा ने एक पैन डाईव **HP** कम्पनी 32 जी.बी. पेश किया, जिस **V220W 1.2023 GJ/32/8KOM** है। श्री कैलाश चन्द्र ने बताया कि मेरे बजरी के ट्रेक्टरों को बिना रोकटोक के चलने देने हेतु श्री दुलीचंद के द्वारा 05 लाख रूपये एक मुस्त बंधी के रूप में मांगे जाने पर मेरे द्वारा श्री दुलीचंद गुर्जर के पिता को दिनांक 14.09.2022 को 02 लाख रूपये एक मुस्त बंधी के दिये गये थे, उस समय मैनें मेरे मोबाइल से रूपये देते समय के दो वीडियों बनाये गये थे। उक्त दोनों वीडियों को मेरे द्वारा मेरी पत्नि के मोबाइल पर वाटसऐप पर भेज दिया था और मेरे मोबाइल से डिलीट कर दिया था। उक्त दोनों वीडियों को मैनें दिनांक 02.04.2023 को मेरी पत्नि के मोबाइल से अपने मोबाइल पर वाटसऐप पर वापस ले लिया था। श्री दुलीचंद के द्वारा दिनांक 02.04.2023 को मेरे ट्रेक्टर नं. आर.जे. 51 आरए 1319 को बजरी की भरी हुई ट्रोली सहित थाने में खडा करवाये जाने के बाद मैनें मेरे मोबाइल नं. 94145–95800 से श्री दुलीचंद के पिता के मोबाइल नं. 94603–72281 पर 03 बार दुली चंद के पिता से बात की थी, उक्त वार्ताओं को मैनें मेरे मोबाइल फोन रिकार्ड किया था। इसके बाद मैनें मेरे मोबाइल से उक्त तीनों वार्ताओं एवं दिनांक 14.09.2022 के दोनों ऑडियो/वीडियों को मेरे इस पैन डाईव में कॉपी किया था। इस पर उपरोक्त गवाहान के समक्ष उक्त पैन डाईव को लैपटॉप में लगाकर चैक किया तो एक VideoCrop_20230402_111854210 के नाम सेव 10816 KB की MP4 ऑडियो/वीडियों फाईल, एक VideoCrop_20230402_114823047 के नाम सेव 1401KB की MP4 ऑडियो/वीडियों फाईल, एक CI D. C. SAHAB KE PAPA 2023-04-02 08-53-23 के नाम सेव 720KB की MP4A ऑडियो फाईल, एक CI D. C. SAHAB KE PAPA 2023-04-02 09-54-32 के नाम सेव 257KB की MP4A ऑडियो फाईल तथा एक में CI D. C. SAHAB KE PAPA 2023-04-02 09-58-08 के नाम सेव 199KB की MP4A ऑडियो फाईल पाई गई। उक्त में दो में ऑडियो/वीडियों एवं तीन फाईलों में ऑडियों रिकार्ड होना पाया गया। इसके पश्चात पैन ड्राईव की हैस वैल्यू श्री मांगीलाल, उप अधीक्षक पुलिस से निकलवाई जाकर हैस वैल्यू के 10 पेज पर प्रिन्ट आउट लिया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके पश्चात उपरोक्त वार्ताओं की डी.वी.डी. तैयार करने हेतु 4 खाली डी.वी.डी. मंगवाई जाकर उनका गवाहान की उपस्थिति में खाली होना सुनिश्चित कर उपरोक्त ऑडियो/वीडियो फाईलों को श्री मांगीलाल, उप पुलिस अधीक्षक से जरिये लैपटॉप 04 खाली डी.वी.डी. में बर्न करवाया गया। इसके पश्चात उक्त चारों डी.वी.डी. को पुनः गवाहान के समक्ष बारी बारी से लैपटॉप चलाकर सुना गया तो उनमें उपरोक्त ऑडियो/वीडियों फाईलें रिकार्ड होना पाई गई। इसके पश्चात चारों डी.वी.डी. पर क्रमशः मार्का **B, B–1, B–2 एवं B–3** अंकित किया जाकर गवाहान एवं संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके पश्चात पैन ड्राईव में रिकार्ड ऑडियो/वीडियों वार्ताओं को गवाहान एवं परिवादी श्री कैलाशचन्द्र की मौजूदगी में लैपटॉप पर चलाकर सुना जाकर वार्ता रूपांतरण तैयार किया गया। ऑडियों/वीडियों में रिकार्ड वार्ताओं में अपनी एवं आरोपी के पिता की आवाज की पहचान परिवादी श्री कैलाशचन्द्र ने की। इसके बाद परिवादी द्वारा प्रस्तुत पैन डाईव **HP** कम्पनी 32 जी.बी. जिस **V220W 1.2023 GJ/32/8KOM** लिखा हुआ है जिसको एक सफेद कपडे की थैली में रखकर थैली पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर, थैली को सील मोहर कर थैली पर मार्का **A** अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया। इसके पश्चात मार्का **B, B–1, B–2** तीन अलग अलग डी. वी.डी. कंवर में पृथक–पृथक रखकर सफेद कपडे की तीन थैलियों में पृथक–पृथक रखकर सील मोहर किया जाकर सफेद कपडे की थैलियों पर गवाहान एवं संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर क्रमशः मार्का **B, B–1, B–2** अंकित किया गया तथा चौथी डी.वी.डी. पर मार्क " **B–3** " को अनुसंधान हेतु खुला रखा गया। इस कार्यवाही की फर्द तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। परिवादी व गवाहान को बाद कार्यवाही हिदायत कर रूखसत किया गया। दिनांक 06.04.2023 को संदिग्ध श्री मक्खन लाल के

मोबाइल नं. 9460372281 व श्री दुलीचंद, थानाधिकारी, पुलिस थाना जहाजपुर जिला भीलवाडा के मोबाइल नं. 9828875332 के नाम पते प्राप्त कर शामिल पत्रावली किये गये तथा श्री मक्खन लाल के मोबाइल नं. 9460372281 की कैफ जरिये ई–मेल प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई। दिनांक 05.04.2023 को परिवादी से पूछताछ के दौरान बताया था कि दिनांक 02.04.2023 को जब उसका ट्रेक्टर पकडा था तथा श्री दुलीचंद गुर्जर, थानाधिकारी से उसके चैम्बर में बहस हो गई थी इसलिए श्री दुलीचंद थानाधिकारी अब मेरे से रिश्वत नहीं लेगा।

अब तक की कार्यवाही से पाया गया है कि परिवादी श्री कैलाश चन्द्र खटीक पुत्र श्री नाथूलाल खटीक निवासी जहाजपुर जिला भीलवाडा राजस्थान के बजरी के ट्रेक्टरों को बिना रोक टोल चलाने की ऐवज में थानाधिकारी श्री दुलीचंद द्वारा 05 लाख रूपये की एक मुस्त रिश्वत की मांग कर दिनांक 14.09.2022 को 02 लाख रूपये रिश्वत के अपने पिता श्री मक्खन लाल को दिलवाये तथा श्री मक्खन लाल द्वारा 02 लाख रूपये रिश्वत के प्राप्त करने के पश्चात 03 लाख रूपये और श्री दुलीचंद थानाधिकारी, पुलिस थाना जहाजपुर के लिए मांग की गई है। आरोपीगण श्री मक्खन लाल पुत्र श्री हरीश चन्द्र ग्राम बडवारा तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान तथा श्री दुलीचंद पुत्र श्री मक्खन लाल ग्राम बडवारा तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान हाल थानाधिकारी पुलिस थाना जहाजपुर जिला भीलवाडा का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं धारा 384 व 120बी भादंसं में प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है।

अतः आरोपी श्री मक्खन लाल पुत्र श्री हरीश चन्द्र ग्राम बडवारा तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान तथा आरोपी श्री दुलीचंद पुत्र श्री मक्खन लाल ग्राम बडवारा तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान हाल थानाधिकारी पुलिस थाना जहाजपुर जिला भीलवाडा व अन्य के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं धारा 384 व 120बी भादंसं में विस्तृत अनुसंधान हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कमांकन हेतु प्रेषित है।

(पुष्पेन्द्र सिंह राठौड)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
एस.यू. द्वितीय, भ्र.नि.ब्यूरो
राजस्थान, जयपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री पुष्पेन्द्र सिंह राठौड, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, स्पेशल यूनिट द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 384, 120बी भादंसं में आरोपीगण 1. श्री मक्खन लाल पुत्र श्री हरीश चन्द्र, निवासी बड़वारा तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर एवं 2. श्री दुलीचन्द पुत्र श्री मक्खन लाल, निवासी ग्राम बडवारा, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर हाल थानाधिकारी पुलिस थाना जहाजपुर जिला भीलवाड़ा एवं अन्य के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 78/2023 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रतियॉ प्रथम सूचना रिपोर्ट की नियमानुसार कता कर अग्रीम अनुसंधान श्री बृजराज सिंह, प्रभारी, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाड़ा–द्वितीय को सुपुर्द की गई।

(सवाई सिंह गोदारा)
महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक 627–31 दिनांक 6.4.2023

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भीलवाड़ा।
2. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान,जयपुर।
3. महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एसयू–द्वितीय जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाड़ा– द्वितीय।

(सवाई सिंह गोदारा)
महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।